उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुरूषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरूष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2016 की लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक प्रदान किये जाने विषयक

संख्या:पीआरपीबी–एक–2(कारा0वि0)/2018 दिनांक:दिसम्बर 08, 2020

1– उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरूष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2016 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 19 एवं 20.12.2020 को दो पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित कराने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है।

2– महिलाओं एवं पुरूषों के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरूष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2020 एवं 20.12.2020 को आयोजित होने वाली आफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों के निर्देश में त्रुटिवश अंकित हो गया है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जायेगी, जबकि जेल वार्डर की भर्ती से सम्बन्धित **नियामवली उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–15(2) लिखित परीक्षा–में वर्णित प्रावधान "अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे" तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली–2016 के प्रस्तर–15(1) सीधी भर्ती की प्रकिया में वर्णित प्रावधान "फायरमैन–फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया वैसी होगी जैसी प्रकिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।" उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–2 लिखित परीक्षा–में "अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे" का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।**

3– तदक्रम में बोर्ड द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या क्रमशः पीआरपीबी–एक–2–(कारा0वि0)/2016 दिनांक 29.11.2018 **प्रस्तर–4.1** में एवं विज्ञप्ति संख्या–पीआरपीबी–एक–1(135)/2018, दिनांक 03.12.2018 के **प्रस्तर–4.1** में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि **"अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे।"**

4– अतः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि नियमावली में वर्णित उपरोक्त नियम तथा तदक्रम में निर्गत की गयी विज्ञप्ति के आलोक में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे।

5– अतः महिलाओं एवं पुरूषों के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरूष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2020 एवं 20.12.2020 को आयोजित होने वाली आफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों के निर्देश में त्रुटिवश अंकित तथ्य No Nigetive Marking को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

अपर सचिव (भर्ती),
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।